

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 01 दुर्घटना में मृत श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए), 01 आंशिक निःशक्तता के मामले में ₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए) एवं 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 257500/- (दो लाख सनतावन हजार पाँच सौ रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नबुदी महतो, 53, स्व० रामचरण महतो, अ० पि० वर्ग	श्रीमती पानवती देवी(पत्नी)	839/3.8.18	ग्रा०+पो०-रसलपुर, था०+प्र०-जन्दाहा, वैशाली	15152193 000229	OBC जन्दाहा, ORBC0101515	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिकशा चालक का कार्य
2	स्व० रामदयाल प्रसाद, 42, श्री नंदन चौरसिया, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सुलोचना देवी(पत्नी)	840/3.8.18	ग्रा०+पो०-लोमा, था०-तिसिऔता, प्र०-जन्दाहा, वैशाली	39434854 47	Central Bank of India, जसपरहा CBIN0282460	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कपड़ा बेचने का कार्य
3	स्व० अमरजीत प्रसाद उर्फ अमित प्रसाद, 35, श्री महेन्द्र प्रसाद, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रीता देवी(पत्नी)	841/3.8.18	ग्रा०+पो०-लोमा, था०-तिसिऔता, प्र०-जन्दाहा, वैशाली	10014710 30022645	UBGB, जन्दाहा, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पान का पता का क्रय-विक्रय का कार्य
4	स्व० राजेन्द्र राय, 36, स्व० यदुनंदन राय, पि० वर्ग	श्रीमती धर्मशीला देवी(पत्नी)	842/3.8.18	ग्रा०+पो०-रामपुर श्यामचंद, था०-राधोपुर, वैशाली	35870411 443	भारतीय स्टेट बैंक, हाजीपुर, वैशाली SBIN0000088	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य
5	स्व० लीला भगत, 40, स्व० झरी भगत, अनु० जाति	श्रीमती नितारा देवी(पत्नी)	843/3.8.18	ग्रा०-मल्लिकपुर, पो०-रूस्तमपुर, था०-राधोपुर, वैशाली	34098548 847	भारतीय स्टेट बैंक, बंकाघाट, वैशाली, SBIN0006380	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक का कार्य
6	श्री शिवकुमार, 56, श्री बिन्दा सहनी, अ० पि० वर्ग	स्वयं	844/3.8.18	ग्रा०-परमानंदपुर, पो०-दाउदनगर, था०+प्र०+जि०-वैशाली	31021878 174	भारतीय स्टेट बैंक, सरैया, SBIN0003001	₹ 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपए)	आंशिक निःशक्तता, मछली पालन व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 257500/-

(दो लाख सनतावन हजार पाँच सौ रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संचिका सं० श्रम क० सं०-11/2018 के पृष्ठ-11/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-11/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-11/2018-416

पटना, दिनांक :- 30-08-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 257500/- (दो लाख सनतावन हजार पाँच सौ रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को उनके पत्रांक 839, 840, 841, 842, 843, 844 दिनांक 3.8.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

31/8/18
30-8-18
(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

GKS
30/08/18
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

30/08/18
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।